कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश

निविदा सूचना

पत्रांक 755/ निविदा /33, दिनांक 27.05.2016

अध्यक्ष उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्माण विंग, उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम में समुचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नवत कार्यों हेतु मोहरबन्द निविदायें दिनांक 17.06.2016 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनांक 18.06.2016 को अपरान्ह 12:00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं/उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख महाप्रबन्धक (गढ़0), निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के कार्यालय में खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र दिनांक 16.06.2016 तक कार्यालय कार्यदिवसों में सुबह 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्र0 सं0	निर्माण कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र का मूल्य व्यापार कर सहित रू0	धरोहर धनराशि रू0	कार्यों को पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदारों की श्रेणी
1	भगवानपुर, जनपद हरिद्वार में बहुद्देशीय क्रीड़ा भवन का निर्माण कार्य।	16/06/2016	मूल्य रू0 2370.00 व्यापार कर सहित।	1,30,000.00	06 माह	सी' एवं उच्चतर श्रेणी निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम में भवन निर्माण कार्य में पंजीकृत फर्म/ ठेकेदार।

शर्तें :–

1– प्रपत्र का मूल्य केवल डि0ड्राफ्ट/बैंकर चैक, जो कि परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश (देहरादून) के पदनाम पर ऋषिकेश में देय हो, प्रस्तुत करने पर निविदा प्रपत्र की प्रति निर्गत की जायेगी।

2– धरोहर धनराशि, भारत में किसी भी अनुसूचित बैंक की जमा रसीद/राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जो कि परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश (देहरादून) के नाम बन्धक हो, ली जायेगी। धरोहर धनराशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3– प्रतिभूति राशि, स्वीकृति हेतु दरें तीन माह तक वैध होने का प्रमाण पत्र (रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगा हो) संलग्न किया जाना आवश्यक है, अनुबन्ध हेतु स्टाम्प ड्यूटी नियमानुसार देय होगी।

4– निर्धारित निविदा प्रपत्र, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश (देहरादून) के कार्यालय से पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाकर एवं निविदा के मूल्य तथा व्यापार कर सहित का डि0ड्राफ्ट/बैंकर चैक जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

5– निविदादाता निविदा डालने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण भली–भॉति कर लें तथा कार्य के दौरान आने वाली कठिनाईयों से भली–भॉति अवगत हो लें, इस हेतु बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं ठेकेदारों द्वारा उपरोक्त कार्य का अनुभव आवश्यक है।

6– दरें खरीदे गये निविदा प्रपत्र के शैड्यूल ''जी'' पर ही स्वीकार की जायेगी।

7– निविदा प्रपत्र केवल वॉछित श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों को ही मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने पर विक्रय किये जायेंगे।

8– सशर्त एवं अपूर्ण निविदा प्रपत्र पर दी गयी दरें किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।

9– डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मांगे जाने पर निविदा प्रपत्र का उल्लेखित मूल्य व्यापार कर सहित रू0 2370.00 मात्र डि0ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

10– किसी राजकीय विभाग में उपरोक्त प्रकृति के कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

11– निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री एवं कार्यों का सम्पादन भारतीय मानक ब्यूरो तथा उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 के मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार किया जायेगा।

12— निर्माण इकाई एवं महाप्रबन्धक कार्यालय में कोई सगा–सम्बन्धी नहीं होने का प्रमाण पत्र रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर भरकर निविदा प्रपत्र के साथ चस्पा करना होगा। (प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न है) इन शर्तों को पूरा न करने वाले निविदा दाताओं की दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

13— यह आइटम दरें आमन्त्रण/निविदा सूचना, निविदा का ही एक हिस्सा है एवं इसकी शर्तें निविदा प्रपत्र पर अंकित शर्तों के साथ–साथ ठेकेदार को मान्य होंगी।

14— किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अधोहस्ताक्षरी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

15— अन्य सभी शर्तें निविदा प्रपत्र के अनुसार होगी, जिन्हें कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में देखा जा सकता हैं।

16— निविदा स्वीकार होने पर समस्त टैक्स/ कटौतियां शासन के नियमानुसार ठेकेदार के देयक से काटी जायेंगी।

17— निविदा में आमन्त्रित शेड्यूल ''जी'' के आइटमों में स्थल/वास्तविकता के अनुसार मात्रा घट / बढ़ सकती है।

(अनुपम रतन)
परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. महाप्रबन्धक (गढ़वाल), निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
2. समस्त महाप्रबन्धक, परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
3. जिला क्रीड़ा अधिकारी– हरिद्वार।
4. यूनिट लेखाकार को इस आशय से कि इकाई में पंजीकृत ठेकेदारों को नियमानुसार निविदा प्रपत्र उपलब्ध कराने हेतु।
5. सम्बन्धित स्थानिक अभियन्ता को शेड्यूल "जी" तैयार करने हेतु।
6. सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
7. एक्स0एस0 कम्युनिकेशन प्रा0लि0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित, कि कृपया निविदा सूचना राष्ट्रीय स्तर के किन्हीं दो व्यापक प्रसार वाले हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में नियम व शर्तों को छोड़कर न्यूनतम पठनीय आकार में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

परियोजना प्रबन्धक